


वह गलत रूप से का वही व प्रती वही है
मह्य हिलेनुवा वराषा २ करवडा खिया
है बाला विमान्य योमला प्रलाएव
स्वीकार खिया जसा है हांहीव खिया
यासि हो / कावली पिनिव लोह
संला से कम हो

सिखि हुनाला गवा /



उपखण्ड अधिकारी
गोगुन्दा जिला उदयपुर

डिक्री व मुकदमें इबतदाई
(आदेश 20 के नियम 6 और 7 सि.प्र.सं.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गोगुन्दा जिला उदयपुर

पालकीन अधिकारी श्री सत्यनारायण झाचार्य R.A.S.
 मुकदमा 90 सन् 2011 सीगह
 श्री हरिराम पिला उडा बोरार बनाम मीमबी कुंकु वेधा हेवा
पिवाली. मारोडी बोरार पिताली. मारोडी बोरार

दावा बाबत 53 R.T. Act

यह मुकदमा आज वास्ते अन्तिम निपटारा किये जाने श्री सत्यनारायण झाचार्य के समक्ष प्रस्तुत हुआ।
 वादी की ओर से वकील श्री — प्रतिवादी की ओर से वकील —

की उपस्थिति में आदेश दिया जाता है और डिक्री दी जाती है कि मीमबी मारोडी

पलवार को मजावह की आरखी नम्बर 1112 रकबा 0.2900 है
श्रीमि डा श्री हरिराम पिला उडा, मीमबीलाल पिला (मडमरा
माने. 1116 रकबा 0.0900 है. श्रीमि डा कुंकु वेधा हेवा,
मधरा पिला हेवा, माना, नवमा पिला, रसा, लीरा, रोडा पिला
जवाना, डालु, संवा पिला हेवा मुर्त हो खेतिया, डारलडा
होखिल खिया मारोडी मसुदा रजख रेड्स में कुमव
हरामह खिया मारोडी

और इस वाद के खर्चे लेखे — रुपये की राशि — आज की तारीख
 से वसूली की तारीख तक उस पर — प्रतिशत की दर से ब्याज सहित
 द्वारा — को दी जाये।

यह आज तारीख 09 मार 06 सन् 2015 को
 मेरे से हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई है।

(सत्यनारायण झाचार्य)
 हस्ताक्षर न्यायाधीश
 उपखण्ड अधिकारी
 गोगुन्दा जिला उदयपुर

वाद के खर्चे

वादी	रुपये	पैसे	प्रतिवादी	रुपये	पैसे
वाद पत्र के लिये स्टाम्प स्टाम्प वकालात नामा प्रदर्शों के लिये स्टाम्प महनताना वकील) पर खर्चा गवाह फीस कमिश्नर आदेशित की तामील विविध खर्चे			स्टाम्प प्रार्थना पत्र स्टाम्प वकालात नामा प्रदर्शों के लिये स्टाम्प महनताना वकील) पर खर्चा गवाह फीस कमिश्नर आदेशित की तामील विविध खर्चे		
योग			योग		